UPSI010040602026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–778/2026
सी०आई०एस० नं०–1822/2026

अरूण एसुदाशन उम्र करीब 61 वर्ष पुत्र एसुदाशन, निवासी भरत गैस एजेन्सी के पीछे, कस्बा व थाना भीरा, जिला लखीमपुर खीरी।

अभियुक्त।

बनाम

सरकार अभियोगी।

अ०सं०–126/2026
धारा–127(2)/302 बी०एन०एस०
व 3/5 (1) उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिशेध अधिनियम
थाना–मिश्रित, जिला–सीतापुर।

<u>निरस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त अरूण एसुदाशन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–126/2026, अन्तर्गत धारा–127(2),302 बी०एन०एस० व 3/5 (1) उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिशेध अधिनियम, थाना–मिश्रित, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला करागार सीतापुर में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में रामआसरे का शपथ–पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र न तो सेशन न्यायालय सीतापुर और न ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित किया गया है, खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उ०नि० गुड्डू जोशी द्वारा थाना मिश्रित, जिला सीतापुर द्वारा लिखित तहरीर देकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी मुकदमा मय हमराह का0 रामबृज, का0 जोधा सिंह, व का0 संजीव राज के थाना हाजा से रवाना होकर जांच अहकामात व देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर नहर चौराहा कस्बा मिश्रित में मौजूद था कि मौके पर शंशाक मिश्रा पुत्र हरिप्रसाद मिश्रा निवासी मो० खाकी सराय कस्बा व थाना मिश्रित जनपद सीतापुर व महेन्द्र पुत्र कृष्ण किशोर निवासी मो० थोक वार्ड नं0–02 थाना मिश्रित जनपद सीतापुर आये व बताये कि मो० थोक बार्ड न 0–02 कस्बा व थाना मिश्रित जनपद सीतापुर में महेन्द्र यादव पुत्र राजाराम यादव के मकान में एक व्यक्ति जो किरायेदार के रुप में रहता है। अनुसूचित जाति के भाई–बहनो व अन्य वर्ग के लोगो को एकत्रित कर हिन्दू धर्म से इसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहा है। इस सूचना पर मैं उ 0 नि0 मय हमराहगण के मय जनता के लोगो के नहर तिराहा से रवाना होकर मो० थोक महेन्द्र यादव के मकान के छत पर बने बरामदे के पास पहुँचा तो देखा कि बरामदे में 17 महिला व पुरुष बैठे है व एक व्यक्ति खड़ा होकर हाथ में बाइबल लिए इसाई धर्म का प्रचार कर रहा है। व हिन्दू धर्म के बारे में बैठे लोगो को भड़काते हुए अपशब्द कह रहा है। और कह रहा है कि आप लोग ईसाई धर्म ग्रहण करें ईसा मसीह

Digitally signed by Shailendra Kumar Verma
Date: 2026.07.13 16:58:22 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court, Sitapur

आप लोगो का भला करेगें व मैं आप लोगो को फ्री शिक्षा व इलाज करायेगे। खड़े व्यक्ति की बात सुनकर हम पुलिस बल व मौजूद जनता के लोगो को विश्वास हो गया कि खड़ा व्यक्ति हिन्दू धर्म के महिला/पुरुष को प्रलोभन देकर इसाई धर्म ग्रहण करा रहा है। इसके बाद हम पुलिस बल द्वारा खड़े व्यक्ति का नाम, पता पूछा गया तो अपना नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिहं उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मकान नं0 223 अगरनगर बालीवाल अमाना थाना अगरनगर जनपद लुधियाना पंजाव, स्थायी पता श्रीपुर मझरहीया थाना हथौड़ी जनपद समस्तीपुर (बिहार) हाल पता– मो० थोक वार्ड नं0 02 कस्बा व थाना मिश्रित जनपद सीतापुर बताया। पास ही एक टीन की दान पेटिका जिसमे 100 रुपये की दो नोट, पचास रुपये की 02 नोट, बीस रुपये की 02 नोट, दस रुपये की 08 नोट, दस के 04 सिक्के , पांच रुपये के 02 सिक्के कुल 470/– रुपये मिले। मौके पर इसाई धर्म के प्रचार प्रसार की किताबे जिसमे बाइविल के सौ महत्वपूर्ण अध्ययन, उददेश्य चालित जीवन मसीही सेवको के लिए, ग्राहह्य की सहायक पुस्तिका, बाइबल शब्दकोश, सम्पूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल दो पुस्तिका, नया नियम दो पुस्तिका, सेन्ट्रल यूपी० मिशन टेकिंग द चर्च टू द पीपुल व तीन गत्ता छोटी छोटी पुस्तिकाएं जिस पर पति परमेश्वर जिनसे लोगो ने प्रेम किया, क्या स्वर्ग और नरक है, एक जिन्दगी के बदले एक जिन्दगी, यीशू नाम– सब नमवन से बढिया, है बरामद हुआ। बैठे लोगो (महिला व पुरुष) के हाथो में भी छोटी छोटू पुस्तिका है। पकडे गये व्यक्ति को बताया गया कि आप का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 127 (2)/302 BNS व धारा 3, 5 (1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम –2021 का दण्डनीय अपराध है। पकड़े गये व्यक्ति को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए समय करीब 14.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया व मौके से बरामद दान पेटिका, व मोटी–मोटी किताबो व छोटी छोटी पुस्तिकाओ को अलग– अलग सील सर्व मुहर कर नमून मुहर तैयार किया गया। मौके पर जनता के लोग इकठ्ठा हो गये थे। जिनसे गवाही हेतु कहा गया तो शशिकान्त मिश्रा को छोड़कर अन्य लोग बिना नाम, पता, बताये एक एक करके मौके से चले गये। बरामदी व गिरफ्तारी का मौके वीडियो ग्राफी की गयी। मौके पर चर्च प्रेयर में उपस्थित श्रीराम पुत्र सरजू निवासी परसौली थाना– मिश्रित सीतापुर, प्रदीप पुत्र मगरे निवासी ककराही थाना –हरिगाव सीतापुर, मुन्ना पुत्र रतिराम निवासी रामकोट थाना– रामकोट सीतापुर, विशाल पुत्र राजू निवासी अटरिया (चमरपुरवा) अटरिया सीतापुर, व महिलाओ से गवाही हेतु कहा गया तो बिना नाम पता बताये एक–एक करके चली गयी। वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है।

4– अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध किया गया और यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पर लोगों की जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

5– अभियुक्त का कहना है कि अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में झूठा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है, जबकि वह मजदूर पेशा व्यक्ति है और निर्दोष है। वादी मुकदमा द्वारा उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है तथा उसका नाम व्हाट्सप ग्रुप के जरिये प्रकाश में लाया गया है। वह कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं था परन्तु उसे झूठे तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है और न ही धर्म परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का लालच दिया गया है। उसने किसी भी व्यक्ति को न तो बंधक बनाया और न ही किसी धर्म के देवी देवताओं को अपशब्द कहे। उपरोक्त घटना से उसका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। उसके पास से कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई है तथा पुलिस द्वारा जो बरादगी दिखायी गयी है, वह पूर्णतया फर्जी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह बीमार व वृद्ध व्यक्ति है जो ह्रदय की बीमारी से पीडित है तथा हांथ पैर में स्टैण्ड पड़ा है, जिसका इलाज दिल्ली से चल रहा है। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर धारा–127(2),302 बी०एन०एस० व 3/5 (1) उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना उल्लिखित है। केस डायरी में किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कोई तथ्य विद्यमान नहीं है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार सीतापुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त के द्वारा गवाहों को प्रभावित करने व पलायित होने का कोई आधार नहीं है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है एवं अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अरूण एसुदाशन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–126/2026, अन्तर्गत धारा–127(2),302 बी०एन०एस० व 3/5 (1) उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिशेध अधिनियम, थाना–मिश्रित, जिला–सीतापुर के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० पचास हजार रुपए का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
विशेष न्यायाधीश(ई०सी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, सीतापुर।
J.O.Code 6377

दिनाँक–13.07.2026

पंकज/–